PAGE 1 OF 3	अभियोजन साक्षी संख्याः 07

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-06 जनपद – कानपुर देहात।		
सत्र परीक्षण संख्या- 1607/2020		
राज्य	**बनाम**	रवि गुप्ता

नाम साक्षीः मनोज कुमार रावत पुत्र राधेलाल	अपराध संख्या-524/2020
उम्रः लगभग 36 वर्ष, पेशाः तहसीलदार	धारा- 498A, 304B भादवि एवं धारा-3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
वर्तमान तैनाती पता साक्षीः तहसीलदार बुलन्दशहर सदर, जनपद-बुलन्दशहर	थाना-रसूलाबाद, कानपुर देहात।

दिनांकः-17.03.2026

मैं **साक्षीः मनोज कुमार रावत पुत्र राधेलाल, उम्रः लगभग 36 वर्ष, पेशाः तहसीलदार, वर्तमान तैनाती पता साक्षीः तहसीलदार बुलन्दशहर सदर, जनपद-बुलन्दशहर** शपथपूर्वक यह बयान करता हूँ कि.....

1. दिनांक 10.07.2020 को मैं नायब तहसीलदार के पद पर तहसील रसूलाबाद में कार्यरत था। उसी दिन समय सुबह लगभग ग्यारह बजे उपजिलाधिकारी रसूलाबाद, कानपुर देहात द्वारा जरिए फोन से मुझे सूचना दी गयी थी कि रीना गुप्ता पुत्री गुलाबचन्द्र, निवासिनी-मोहल्ला नेहरु नगर, कस्बा व थाना रसूलाबाद, उम्र करीब 36 वर्ष की मृत्यु हो गयी है, का शव सीएचसी रसूलाबाद में रखा हुआ है। आप जाकर पंचनामा की कार्यवाही संपन्न करायें।

2. उपर्युक्त सूचना पाकर मैं उसी दिन सीएचसी रसूलाबाद समय लगभग साढ़े ग्यारह बजे पहुँच गया था। मृतका का शव अस्पताल के महिला वार्ड में बेड पर

रखा था। वहाँ पर पहले से ही मृतका के परिजन, अन्य लोग तथा थाना रसूलाबाद की पुलिस व अस्पताल के कर्मचारी मौजूद थे।

3. वहाँ पर मौजूद परिजनों में से पंच नियुक्त कर समय सुबह 11:45 बजे मेरे द्वारा पंचनामा की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी थी। मृतका के शव का मुआयना महिला आरक्षी कीर्ति से कराया गया था। मृतका के सिर के पीछे गंभीर चोट का निशान, माथे पर नीलगू निशान, सिर के पीछे गुंथर (सूजन) थी, बायें हाथ की कलाई में खूनआलूदा चोट, पेट में नाभि के ऊपर नीलगू निशान और पीठ में गर्दन के नीचे नीलगू निशान मौजूद था।

4. पंचनामा की कार्यवाही के पश्चात मृतका के शव को एक सफेद कपड़े में रखकर सीलसर्वमुहर कर नमूना मोहर तैयार कराया गया था। मृतका रीना गुप्ता की पंचनामा रिपोर्ट मैंने बोलबोलकर उ०नि० जय सिंह से लिखवायी थी। पंचनामा रिपोर्ट पर मैंने अपने हस्ताक्षर बनाये थे। जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। जिस पर **प्रदर्श क-8** अंकित किया गया।

5. सी०एम०ओ० चिट्ठी, चालान नाश, पुलिस फॉर्म सं०-33, फोटोनाश पर भी मेरे हस्ताक्षर हैं। जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। जिन पर **प्रदर्श क-9 लगायत प्रदर्श क-12** अंकित किया गया।

6. मृतका का शव, पंचनामा रिपोर्ट व अन्य दीगर प्रपत्र आरक्षी दीपक चौहान व महिला आरक्षी कीर्ति को सुपुर्द कर पोस्टमार्टम हेतु रवाना किया गया था।

7. पुलिस ने मुझसे पूछताछ की थी।

प्रतिपरीक्षा

---

8. मैं तहसील रसूलाबाद में दिनांक 30.10.2019 से वर्ष 2023 तक तैनात रहा। पंचनामा करने का आदेश मुझे मौखिक मिला था। मैं सीएचसी अस्पताल सवा ग्यारह-साढ़े ग्यारह बजे के आसपास पहुँच गया था। जब मैं अस्पताल पहुँचा था तब शव बेड पर उसी अवस्था में रखा था।

9. मेरे पहुँचने से पूर्व पुलिसकर्मी व अस्पतालकर्मी व मृतका के परिजन मौजूद थे। पंचनामा मैंने बोलबोलकर उ०नि० जयसिंह से लिखाया था। जितने पंच थे मैंने उतने पंचों के हस्ताक्षर पंचनामा पर बनवाये थे। मैंने शव पर चोटों के निशान देखे थे। चोटों का स्पष्ट विवरण मैंने पंचनामा पर लिखवाया था।

10. पंचों ने अपनी राय में मृतका की मृत्यु मारपीट व गला दबाने के कारण आई चोटों से होना प्रतीत होती है जिस कारण शव का पोस्टमार्टम कराया जाना जरुरी है। मेरे द्वारा पंचों से पूछे जाने पर उनके द्वारा दहेज मांगे जाने की बात बतायी गयी थी। पंचों ने अपनी राय में दहेज के कारण प्रताड़ित किये जाने वाली बात लिखी थी। पंचों ने मेरे सामने पंचनामा पर अपने हस्ताक्षर बनाये थे।

11. किसी भी पंच ने अपने हस्ताक्षर बनाने व राय देने में कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की थी। मैंने शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा था। मैंने पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक को कोई निर्देश नहीं दिया था। मैंने मृतका के मायकेवालों से बात की थी।

12. यह कहना गलत है कि मैंने पुलिस के दबाव व प्रभाव में पंचनामा की कार्यवाही नियमानुसार संपादित न की हो।

मेरे बोलने पर आज यह बयान
रीडर/लिपिक द्वारा अंकित किया गया। सुनकर तस्दीक किया।

HANS PRAKASH DIXIT